उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण अपील वाद सं0 01/2021-22

सनत हेम्ब्रम..अपीलकर्त्ता।

बनाम

सरकार..उत्तरकारी।

आदेश

17.08.2021

यह अधिहरण अपील वाद प्राधिकृत पदाधिकारी -सह- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका के अधिहरण वाद सं0-20/2019 में पारित आदेश दिनांक-12.02.21 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरकारी सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सोनालिका ट्रेक्टर, मॉडल-DI-35, जिसका इंजन नं0-3100 FL63K595640F3, चैचिस नं0-CZJSF600313 है तथा ट्रेलर का निबंधन अपीलकर्त्ता के नाम से है। उनके द्वारा ग्राम-कुसुमडीह थाना-रामगढ़ के लालू मांझी पिता-कविराज मांझी द्वारा उनके जमाबंदी नं0-5 दाग नं0-64 में जमा किये गये पत्थर को लॉड कर समधन कोल को प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु पहुँचाने के क्रम में वन विभाग द्वारा जब्त कर अधिहरण कर लिया गया है। उनका यह भी कहना है कि उनके द्वारा वन भूमि से पत्थर नहीं उठाया गया है किन्तु इसके पश्चात् भी वन विभाग द्वारा उनके ट्रेक्टर, ट्रेलर को जब्त कर अधिहरण कर लिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के ट्रेक्टर को मौजा-कुसुमडीह के दाग सं0-07 से 100 cft पत्थर (बोल्डर) को अवैध खनन कर अवैध परिवहन करने के वन अपराध में संलिप्त पाये जाने पर जब्त किया गया है। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन1989) की धारा 30 (C), 33 एवं 41 का उल्लघंन है तथा अधिनियम की धारा 33 एवं 42 के तहत् दंडनीय संज्ञेय अपराध है। दाग सं0-07 अधिसूचित वन क्षेत्र (अधिसूचना सं0-C/PF 1075/53-1345-R दिनांक-31.03.1953) के अंतर्गत अधिसूचित है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता -सह- वाहन मालिक को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी जब्त पत्थर के खनन एवं परिवहन संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता को निम्न न्यायालय में पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी उनके द्वारा जब्त पत्थर के खनन एवं परिवहन संबंधी कोई कागजात न तो निम्न न्यायालय में और न तो इस न्यायालय में ही प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा अवैध खनन कर 100 cft पत्थर (बोल्डर) अवैध परिवहन करने के वन अपराध में संलिप्त पाये जाने पर पत्थर एवं ट्रेक्टर ट्रेलर को जब्त किया गया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:22:21 +05:30
Location: 169.254.227.244